

Annexure-I

FORM-I
(For Linear Projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. R-7258 / ए.ए.ए. - 36 (2010-11)

Dated: 21 / 01 / 2014

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 3.564 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand for Construction of Road to connect Banjbagad telan motar marg ke k.m. 9 ka motar marg mai parivartan Damrikan ka karya k.m.(9 to 12)** falls within jurisdiction of Bangali Village in Ghat Tehsil.

It is further certified that :-

- The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.012 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above



Ashoke kumar (IAS)
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

जिला अधिकारी
चमोली

Annexure-I

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Ashoke kumar (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 2.1.11.2015 At 17.01.11 Chamoli in which the application claiming rights in village Bangli of Tehsil-Ghat, area Measuring 2.012 Hectares for the **Construction of Road to Connect Banjbagad telan motar marg ke k.m. 9 ka motar marg mai parivartan Damrikan ka karya k.m. (9 to 12)** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Ghat Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommends the above case for diversion of the land for the said purpose.



Ashoke kumar (IAS)
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

जिला अधिकारी
बसोली

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद चमौली में काजवाड़ तैलान मौदरमार्ग के प्रकी. 9 का इल्का वादन मार्ग से मौदर मार्ग में परिवर्तन तथा डामरीकरण का कार्य तथा किमी. 10 से 12 तक नवनिर्माण कार्य,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चमौली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, चमौली

उपखण्ड चमौली परिक्षेत्र के अन्तर्गत काजवाड़ तैलान मौदरमार्ग प्रकी. 9 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.374 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.638 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.012 हे० वन भूमि) का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील दुःत) की दिनांक 16-1-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राजेश्वरी कुमारी सिंह, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| 1- | श्री <u>राजेश्वरी कुमारी सिंह</u> | उपजिलाधिकारी | <u>चमौली (सदर) AKSHP</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>विद्या-शंकर सुपान</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>चमौली</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>रविशंकर शर्मा</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | | सदस्य सचिव |
| 4- | श्री <u>मधुसूदन सिंह</u> | वन अधिकार समिति | | सदस्य |
| 5- | श्री <u>मण्डल-त</u> | वन अधिकार समिति | | सदस्य |
| 6- | श्री <u>सुशीला देवी</u> | वन अधिकार समिति | <u>सुशीला देवी</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

काजवाड़ तैलान मौदरमार्ग प्रकी. 9

परियोजना हेतु 2.012 हे० वन भूमि

का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चौली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड 51C परिक्षेत्र के अन्तर्गत बागलपुर तालाब वन परियोजना के निर्माण हेतु 2.01.2 हे0 वन भूमि ली-लि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Ak Singh

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— चौली
जनपद चौली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Ak Singh

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— चौली
जनपद चौली

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद चमौली में बाजबाई तैलान नैहर मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि, 0.374 हे० सिविल सोयम भूमि 1.638 हे० वन पंचायत भूमि 2.212 हे० अर्थात् कुल 4.224 हे० वन भूमि का विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

ग्राम पंचायत का नाम स्यारी बाली
तहसील चमौली, जिला चमौली

अनापत्ति प्रमाण पत्र
उत्तराखण्ड में जनपद चमौली के अन्तर्गत बाजबाई तैलान नैहर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (X हे० आरक्षित वन भूमि, 0.374 हे० सिविल सोयम भूमि 1.638 हे० वन पंचायत भूमि 2.212 हे०) अर्थात् कुल 4.224 हे० वन भूमि का विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत स्यारी बाली द्वारा दिनांक 15/11/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम स्यारी बाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/Aswari
ग्राम सचिव



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 15-11-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत स्यारी जाली

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|----------------|
| 1 | श्री हुकम सिंह | हुकम सिंह |
| 2 | श्री पूरण सिंह | पूरण सिंह |
| 3 | श्री प्रेम सिंह | प्रेम सिंह |
| 4 | श्री कौपाल सिंह | कौपाल सिंह |
| 5 | ॥ सरे-दीसई (अध्यापक) | सरे-दीसई |
| 6 | ॥ राम सिंह | राम सिंह |
| 7 | ॥ महिपाल सिंह S/o श्री नारायण सिंह | महिपाल सिंह |
| 8 | ॥ विद्यापाल सिंह S/o श्री लालकाल सिंह | विद्यापाल सिंह |
| 9 | ॥ लक्ष्मण सिंह S/o श्री नारायण सिंह | लक्ष्मण सिंह |
| 10 | ॥ दशन सिंह S/o श्री जगदर सिंह | दशन सिंह |
| (11) | ॥ सुरेन्द्र सिंह S/o श्री प्रेम सिंह | सुरेन्द्र सिंह |
| (12) | ॥ जय सिंह S/o श्री लालकाल सिंह | जय सिंह |
| (13) | ॥ महेन्द्र सिंह S/o श्री लालकाल सिंह | महेन्द्र सिंह |
| (14) | ॥ विवेक सिंह S/o श्री कृष्ण सिंह | विवेक सिंह |
| (15) | ॥ अमर सिंह S/o श्री लालकाल सिंह | अमर सिंह |
| (16) | श्रीमती देवी | श्रीमती देवी |
| (17) | श्रीमती देवी | श्रीमती देवी |
| (18) | श्रीमती देवी | श्रीमती देवी |

